भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
***
अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स

1.0 पृष्ठभूमि :

1.1 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) के विकास को थ्रस्ट एरिया के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है । ये लगभग 4000 मेवा. (प्रत्येक) वाली बहुत विशाल परियोजनाएं हैं जिन में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है । ये परियोजनाएं कई राज्यों/ इन राज्यों में स्थित वितरण कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी तथा इन्हें '' बनाओ, रखो एवं प्रचालन करो'' (बीओओ) के आधार पर विकसित किया जा रहा है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य है, तथा वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के प्रापण से संबंधित विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं के संबंध में परियोजना विकासकर्त्ता की पहचान प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर की जा रही है । विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत जनवरी, 2005 में, वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा किए जाने वाले विद्युत के प्रापण के प्रशुल्क के निर्धारण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित किए गए हैं । पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) को जो विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इस पहल के लिए नोडल एजेंसी अभिनिर्धारित किया गया है ।

1.2 संयंत्र की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रौद्योगिकी का चयन

- अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं उच्च स्तरीय ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लिए सुपर क्रिटीकल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगी । इसके परिणामस्वरूप ईंधन की बचत होगी और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी।

- विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुपर क्रिटीकल पैरामीटरों का प्रयोग करके यूनिटों के आकार में लचीलापन ।

- पिटहैड प्रोजेक्ट्स के लिए समर्पित कैप्टिव कोल ब्लॉक्स वाली एकीकृत विद्युत परियोजना ।

- आयातित कोयले का प्रयोग करने के लिए तटवर्ती परियोजनाएं ।

बोली प्रक्रिया :

1.3 इन परियोजनाओं के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, द्वि-स्तरीय चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है । बोली की पहले चरण की प्रक्रिया में, ''योग्यता संबंधी मांग (आरएफक्यू)'' की जाती है जिसमें बोलीदाताओं के चयन के अर्हक मानदंड दिए जाते हैं । बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत आरएफक्यू दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में भाग लेने योग्य बोलीदाताओं की पहचान की जा सके । बोली प्रक्रिया के द्वितीय चरण में, इस प्रकार अर्हक बोलीदाताओं से प्रस्तावों की मांग (आरएफपी) की जाती है । आरएफपी दस्तावेजों के मूल्यांकन के पश्चात्, न्यूनतम लेवलाइज्ड टैरिफ के आधार पर सफल बोलीदाता को अभिनिर्धारित किया जाता है ।

यूएमपीपी स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन

1.4.1 ऐसी नौ परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं जिन पर काम शुरू किया जाना है । इनमें से 4 पिटहैड में तथा 5 तटीय स्थानों में हैं । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने राज्यों से परामर्श करके यूएमपीपी के लिए जिन नौ स्थानों का चयन किया है, वे इस प्रकार हैं :-

(i) पांच तटीय स्थान : मुंद्रा (गुजरात), कृष्णापट्नम (आंध्र प्रदेश), ताद्री (कर्नाटक), गिरि (महाराष्ट्र) एवं चैय्यूर (तमिलनाडु) ।

(ii) चार पिटहैड स्थान : सासन (मध्य प्रदेश), तिलैया (झारखंड), सुंदरगढ़ जिला (उड़ीसा) एवं अकलतारा (छत्तीसगढ़)

1.4.2 इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में मरक्कनम नाम के एक अतिरिक्त स्थान की पहचान की गई है । इसके अतिरिक्त, कर्नाटक ने बेलगाम जिले में घटाप्रभा नाम के एक और स्थान का सुझाव दिया है । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, यूएमपीपी के विकास के लिए इन स्थानों की प्रारंभिक संभाव्यता की जांच कर रही है ।

1.5 विद्युत मंत्रालय की भूमिका : विद्युत मंत्रालय यूएमपीपी के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । यह केन्द्र सरकार के विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य सरकारों/एजेंसियों के मध्य समन्वय का कार्य करता है । कुछ मुख्य क्षेत्र, जिनमें विद्युत मंत्रालय की मध्यस्थता अपेक्षित है, इस प्रकार हैं :-

- निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ समन्वयन :
  - कोयला खंड आबंटन/कोयला संपर्कन
  - पर्यावरण/वन संबंधी मंजूरियां
  - जल संपर्कन
- राज्य सरकारों एवं उनकी एजेंसियों से अपेक्षित सहायता ।
- राज्यों के परामर्श से, यूएमपीपी से विभिन्न राज्यों का विद्युत आबंटन निर्धारित करना ।
- राज्य सरकारों/राज्य यूटिलिटी से पीपीए एवं उचित भुगतान सुरक्षा तंत्र की सुविधा उपलब्ध कराना ।
- पूर्व निर्धारित समय-सीमा के संबंध में शेल कंपनियों की प्रगति का प्रबोधन करना ।

2. स्पैशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.)

2.1 जैसा कि ऊपर बताया गया है, विद्युत अधिनियम के तहत वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत के प्रापण के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक बोली संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इन दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत का प्रापण एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारियों (इन्हें प्रापण करने वालों के नाम से भी जाना जाता है) को संयुक्त बोली प्रक्रिया के द्वारा करने की अनुमति दी जाती है तथा ऐसे मामले में प्रापणकर्ता के पास एक प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा बोली प्रक्रिया संचालित करने का विकल्प होगा । ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' की संकल्पना मानक बोली दस्तावेजों का हिस्सा है (जिसे प्रतियोगी बोली के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी किया गया है) । प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रापणकर्त्ता द्वारा उसकी ओर से सफल बोलीदाताओं के चयन के लिए, बोली प्रक्रिया करने के लिए प्राधिकृत कारपोरेट निकाय माना गया है । तदनुसार, पीएफसी ने 9 यूएमपीपी तथा प्रापणकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों (विद्युत प्रापक राज्यों की वितरण कंपनियों) के लिए अलग से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) स्थापित किए हैं । ये एसपीवी पीएफसी के स्वामित्व की 100 प्रतिशत सहायक संस्थाएं हैं । एसपीवी के नाम निम्नवत हैं :-

(i) सासन, मध्य प्रदेश की परियोजना हेतु, सासन पावर लिमिटेड ।

(ii) मुंद्रा, गुजरात की परियोजना हेतु, कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड ।

(iii) ताद्री, कर्नाटक की परियोजना हेतु, कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड ।

(iv) कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश की परियोजना हेतु, कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड ।

(v) चैय्युर, तमिलनाडु की परियोजना हेतु कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड ।

(vi) गिरे, महाराष्ट्र की परियोजना हेतु कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड ।

(vii) सुंदरगढ़, जिला, उड़ीसा की परियोजना हेतु उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड ।

(viii) तिलैया बांध के नजदीक, झारखंड की परियोजना हेतु झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड ।

(ix) अकलतारा, छत्तीसगढ़ की परियोजना हेतु अकलतारा पावर लिमिटेड ।

2.2 पीएफसी के निदेशक एसपीवी के बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं । उनके अन्य सदस्य पीएफसी के कर्मचारी एवं मुख्य प्रापणकर्त्ता राज्यों की वितरण कंपनियों के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें एक उपयुक्त चरण में बोर्ड में पदासीन किया जाता है । परियोजना विकासकर्त्ता के चयन की सारी प्रक्रिया पूर्ण होने पर, एसपीवी को चयनित बोलीदाताओं अर्थात चयनित परियोजना विकासकर्त्ता का स्थानांतरण किया जाना होता है ।

3. एसपीवी की भूमिका

3.1 एसपीवी, प्रापणकर्त्ताओं की ओर से विभिन्न गतिविधियां जारी रखने के लिए उत्तरदायी है । इन गतिविधियों को, परियोजना प्रदान करने से पहले पूरा करने से निवेशकों का विश्वास बढ़ जाता है, नुकसान की अवधारणा कम हो जाती है तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का अच्छा प्रत्युत्तर मिलता है । एसपीवी द्वारा की जा रही कुछ मुख्य गतिविधियां निम्नवत् हैं :-

- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, त्वरित पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति ।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली दस्तावेज तैयार करने एवं मूल्यांकन करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति ।
- राज्यों/बोलीकर्ताओं के परामर्श से आरएफक्यू/आरएफपी दस्तावेजों को अंतिम रूप प्रदान करना ।
- आरएफक्यू/आरएफपी प्रक्रिया एवं प्रोजेक्ट एवार्ड जारी करना।
- परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण ।
- पिटहैड परियोजनाओं के लिए कोयला खंड प्राप्त करना ।
- राज्य सरकारों से पिटहैड लोकेशन के लिए जल आबंटन की मंजूरी प्राप्त करना ।
- कोस्टल लोकेशन के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग करने के लिए मेरीटाइम बोर्ड / अन्य सरकारी एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करना ।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करना, वन संबंधी मंजूरी इत्यादि की कार्यवाही शुरू करना, जिनकी परियोजना एवं कोयले की खानों के लिए आवश्यकता होती है । इसके पश्चात् केंद्र सरकार से पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी लेना ।

- कोल ब्लॉक्स के लिए सीएमपीडीआई से भू-वैज्ञानिक रिपोर्टे/ अन्य सबंधित डाटा प्राप्त करना ।
- कुल खरीद/ विद्युत विक्रय के लिए प्रबंध करना ।

4. राज्यों की भूमिका :

4.1 यूएमपीपी वाले राज्य तथा अन्य विद्युत प्रापक राज्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं । विशेष रूप से, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर संबंधित राज्य निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं । इसमें पुनर्वास एवं पुनः स्थापन योजना को लागू करना, वितरण यूटिलिटियों की ओर से बोली प्रक्रिया के लिए पीएफसी/एसपीवी को अधिकृत करना, प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रकिया के लिए स्थापित विभिन्न समितियों में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेना, विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर करना, वितरण यूटिलिटियों से उचित भुगतान प्रतिभूति व्यवस्था सुनिश्चित करना इत्यादि शामिल है ।

5. परियोजनाओं की स्थिति :

5.1 मुंद्रा (गुजरात) में यूएमपीपी

5.1.1 गुजरात में मुंद्रा तटीय स्थलों में से एक है । प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को परियोजना विकासकर्त्ता चिह्नित किया गया था क्योंकि इसने रु. 2.26 प्रति किलोवाट घंटे का न्यूनतम लेवलाइज्ड प्रशुल्क रखा था ।

5.1.2 कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) स्पेशल पर्पज व्हीकल है जिसकी स्थापना परियोजना के लिए हुई थी, विकासकर्त्ता के पास स्थानांतरित कर दिया गया है, तथा आगे का विकास कार्य विकासकर्त्ता के द्वारा किया जाएगा ।

5.1.3 चालू होने संबंधी अनुसूची

5.1.3.1 मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर 22.4.2007 को हस्ताक्षर किए गए थे । पीपीए के अनुसार मैसर्स टाटा पावर ने 800-800 मेगावाट वाली पांच यूनिटों के लिए, चालू होने संबंधी अनुसूची को नीचे दर्शाई गई तालिका के कालम-2 के अनुसार सूचित किया है जिसके आधार पर, चालू होने की तिथियों को कालम-3 में दर्शाया गया हैः

यूनिट संख्या	पीपीए हस्ताक्षर के पश्चात् माह	पीपीए पर हस्ताक्षर की तिथि के आधार पर आकलित अनुसूचित सी. ओ. डी.
1	64	22.08.2012
2	70	22.02.2013
3	76	22.08.2013
4	82	22.02.2014
5	88	22.08.2014

5.1.3.2 परियोजना विकासकर्त्ता के पास पीपीए के तहत उपर्युक्त चालू होने संबंधी अनुसूची को अग्रिम रूप से करने का विकल्प है ।

5.2 सासन (मध्य प्रदेश) में यूएमपीपी

5.2.1 यद्यपि आरएफपी बोलियां पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं, तथा इस आशय का पत्र भी जारी किया जा चुका है । फिर भी कुछ कानूनी एवं संविदा संबंधी मुद्दों के कारण स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का स्थानांतरण रूका हुआ है ।

5.2.2 तत्पश्चात्, सासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) को वैध बोलीकर्ताओं से संशोधित प्रस्ताव मिले । इन सबमें से मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड ने रु. 1.19616 प्रति किवा./घंटा की दर से सबसे न्यूनतम लेवलाइज्ड टैरिफ का प्रस्ताव किया था । एसपीएल ने मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को पहली अगस्त, 2007 को आशय- पत्र जारी कर दिया । इसके पश्चात् उन्हें स्पेशल पर्पज व्हीकल सासन पावर लिमिटेड जिसकी स्थापना सासन यूएमपीपी के लिए हुई थी, के स्थानांतरण के लिए 7 अगस्त, 2007 को आवश्यक दस्तावेज जारी किए गए हैं । विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर 7.8.2007 को हस्ताक्षर किए गए ।

5.2.3 **चालू होने संबंधी अनुसूची :** विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर 7.8.2007 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड, सबसे न्यूनतम मूल्य वाले बोलीदाता ने 660 मेगावाट (प्रत्येक) वाली 6 यूनिटों के लिए बोली लगाई थी जिन्हें निम्न अनुसूची के अनुसार चालू किया जाना प्रस्तावित है ।

यूनिट संख्या	**पीपीए हस्ताक्षर के पश्चात माह**	**पीपीए पर हस्ताक्षर की तिथि के आधार पर आकलित अनुसूचित सीओडी**
1	69	06.05.2013
2	76	06.12.2013
3	83	06.07.2014
4	90	06.02.2015
5	97	06.09.2015
6	104	06.04.2016

5.2.4 परियोजना विकासकर्त्ता के पास पीपीए के तहत उपर्युक्त चालू होने संबंधी अनुसूची को अग्रिम रूप से करने का विकल्प है ।

5.3 कृष्णापट्नम (आंध्र प्रदेश) में यूएमपीपी

5.3.1 आरएफक्यू अवस्था समाप्त हो गई है तथा 13 अर्हक बोलीदाताओं को आरएफपी दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं ।

5.3.2 निम्नलिखित मुख्य गतिविधियां प्रारंभ की गईं/मंजूरियां उपलब्ध हैं :

- परियोजना के लिए लगभग 2600 एकड़ भूमि की आवश्यकता है (मुख्य संयंत्र एवं ऐश डाइक के लिए) । भूमि-अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।
- तटीय विनियम क्षेत्र संबंधी मंजूरी उपलब्ध है ।

- कोयले के कार्य के संचालन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कृष्णापट्नम बंदरगाह का विकास निजी कंपनी के माध्यम से करवाया जा रहा है ।
- परियोजना को वृहद हैसियत प्रदान की गई है ।
- पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पैकेज को अंतिम रूप प्रदान किया गया है ।
- राज्य से वन संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है ।
- विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ।

5.3.3 अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं द्वारा आर. एफ. पी. प्रलेखों को नवम्बर, 2007 में प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है ।

5.4 तिलैया बांध (झारखंड) के निकट यूएमपीपी

5.4.1 निम्नलिखित मुख्य गतिविधियां प्रारंभ की गईं/मंजूरिया उपलब्ध हैं :

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य के परामर्श से स्थल की पहचान कर ली है ।
- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए भूमि एवं जल की उपलब्धता की पुष्टि कर दी है । मुख्य संयंत्र एवं ऐश डाइक के लिए कुल 3000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है । भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है ।
- कोयला खंडों का आबंटन हो चुका है ।
- जल उपलब्धता की पुष्टि हो चुकी है ।

5.4.2 प्रारंभ में आरएफक्यू 1 फरवरी, 2007 को आमंत्रित किया गया । इसके प्रत्युत्तर में 10 बोलीदाताओं ने आरएफक्यू जमा किए तथापि बोली प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए बोली दस्तावेजों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं । संशोधित दस्तावेजों के आधार पर स्पेशल पर्पज व्हीकल अर्थात झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड के द्वारा आगे की बोली प्रक्रिया की जाएगी । नए आरएफक्यू दस्तावेज 25 सितम्बर, 2007 को जारी किए गए ।

6. अन्य यूएमपीपी की स्थिति :

6.1 उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले में यूएमपीपी की स्थिति :

गतिविधियों की स्थिति निम्नवत है :-

- सीईए ने सुंदरगढ़ जिले के बेडाबहल को प्रस्तावित स्थल चिह्नित किया ।
- तथापि, राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण कोश के सृजन की मांग किए जाने के कारण बोली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी । अब 14 मार्च, 2007 को राज्य सरकार कोई भी पूर्व शर्त न लगाने के लिए सहमत हो गई है ।
- कोयला मंत्रालय द्वारा इब घाटी में मीनाक्षी, मीनाक्षी-बी एवं मीनाक्षी डिपसाइड के कोयला खंडों का आबंटन किया जा चुका है । चतुरधारा कोयला खंड के आबंटन के लिए भी कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ।
- उड़ीसा सरकार ने आईडीसीओ के माध्यम से स्थल को चिह्नित करने के लिए अध्ययन कार्य प्रारंभ कर दिया है । यह समझा जाता है कि आईडीसीओ ने 28.7.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है । मामले पर राज्य सरकार से चर्चा की जा रही है ।

➢ यूएमपीपी के लिए हीराकुंड बांध से अथवा अन्य व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोत से 150 क्युसैक पानी का आबंटन एक अन्य मामला है जिस पर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि अभी की जानी है । मामले पर राज्य सरकार से चर्चा की जा रही है ।

राज्य सरकार से उपयुक्त स्थल की पुष्टि के पश्चात्, बोली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ।

6.2 तमिलनाडु में चैय्यूर में यूएमपीपी

स्थान की स्थिति के लाभ को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए चैय्यूर की एक संभाव्य जगह के रूप में पहचान की है । तथापि, प्रारंभ में राज्य सरकार यूएमपीपी की स्थापना के लिए नागापट्टीनम स्थान का चयन करने के लिए आग्रह कर रही थी । अब, 5 सितंबर, 2007 को वेल्लूर में आयोजित एक समारोह के दौरान, तमिलनाडु के विद्युत मंत्री ने यूएमपीपी के विकास हेतु चैय्यूर स्थल को अनुमोदन देने के निर्णय से केंद्रीय विद्युत मंत्री को अवगत करा दिया । इसी अवसर पर, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने तमिलनाडु के विद्युत मंत्री के, मरक्कनम में दूसरी यूएमपीपी स्थापित करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया । विद्युत मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को चैय्यूर स्थल के संबंध में आवश्यक मंजूरियों सहित औपचारिक पत्राचार करने को कहा है ताकि बोली प्रक्रिया आरंभ हो सके । मरक्कनम में दूसरी यूएमपीपी स्थापित करने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए कहा गया है ताकि संभाव्यता का पता चल सके ।

6.3 महाराष्ट्र में गिरी में यूएमपीपी

सीईए ने राज्य सरकार के परामर्श से स्थान की पहचान कर ली है । सिंधुगढ जिले के तालुका डियोगढ़ के तिरलोट/संडले/पडेल गांवों के निकट 3000 एकड़ जमीन की पहचान की गई थी । तथापि, स्थानीय आंदोलन के कारण भूमि की अपेक्षित मंजूरियां उपलब्ध नहीं हैं । अतः बोली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है । विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकार, इसके लिए वैकल्पिक/अतिरिक्त स्थान के सुझाव के लिए मामले पर चर्चा की है । अभी हाल ही के पत्र व्यवहार में राज्य सरकार ने डिगी में अतिरिक्त जगह की उपलब्धता के संकेत दिए हैं । तथापि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रारंभिक अन्वेषण करने के पश्चात् सुझाव दिया है कि भूमि सीमित होने के कारण यह स्थान 4000 मेगावाट के यूएमपीपी को स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं होगी । राज्य सरकार से अंतिम स्थिति की सूचना आनी शेष है ।

राज्य सरकार से उपयुक्त स्थल की उपलब्धता की पुष्टि हो जाने पर बोली प्रक्रिया आरंभ की जाएगी ।

6.4 कर्नाटक में ताद्री में यूएमपीपी

सीईए ने ताद्री में राज्य सरकार के परामर्श से स्थल की पहचान की है । तथापि, स्थानीय आंदोलन के कारण, भूमि संबंधी अपेक्षित मंजूरिया उपलब्ध नहीं हैं । यद्यपि स्थानीय पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा मई, 2006 में विशेषज्ञ-समिति भी गठित की गई थी परंतु मामले का समाधान अभी तक नहीं हुआ है । अतः बोली प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है । दिनांक 6 सितंबर, 2007 के हाल ही के पत्राचार में, कर्नाटक सरकार ने बेलगाम जिले के घटप्रभा स्थल पर यूएमपीपी की स्थापना का अनुरोध किया है । यह स्थल घटप्रभा नदी पर बने हिडकल जलाशय के निकट है । मामला परीक्षणाधीन है ।

6.5 छत्तीसगढ़ में अकलतारा में यूएमपीपी

यद्यपि सीईए ने राज्य सरकार के परामर्श से स्थल की पहचान कर ली थी मगर राज्य सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण बोली प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी । राज्य सरकार आग्रह कर रही थी कि परियोजना

द्वारा उत्पादित विद्युत का एक हिस्सा उसे परिवर्तनशील लागत पर दिया जाए । विचारित योजना में यह संभव नहीं है । बोली प्रक्रिया राज्य सरकार से स्थान की मंजूरी मिलने के पश्चात् तदनुसार की जाएगी ।

सचिव (विद्युत) एवं प्रधान सचिव (विद्युत), छत्तीसगढ़ के मध्य 7 अगस्त, 2007 को हुई चर्चा के दौरान, यह सामने आया कि छत्तीसगढ़ सरकार अकलतारा में प्रस्तावित यूएमपीपी के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए पूरी सहायता देने के लिए तैयार है बशर्ते कि प्रस्तावित परियोजना से छत्तीसगढ़ को पर्याप्त हिस्सा आबंटित किया जाए । यूएमपीपी से विद्युत के आबंटन के प्रचलित व्यवहार के अनुसार, मेजबान राज्यों को पर्याप्त हिस्सा प्रस्तुत किया गया है । तदनुसार, विद्युत मंत्रालय कान्ट्रैक्टिड विद्युत का 50 प्रतिशत तक आबंटित करने के लिए सहमत है तथा उसने यह सूचना 6 सितंबर, 2007 को राज्य सरकार को दे दी है । विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह अकलतारा में यूएमपीपी की स्थापना के लिए शीघ्रता करे ।